भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3738

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

.....

पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनाएं

3738. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांगी गई निधियों और केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार के कोई प्रस्ताव/अनुरोध लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): भारत सरकार अपनी मौजूदा योजनाओं के तहत राज्य सरकारों को सिंचाई परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। हालाँकि, यह संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता आदि के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और वित्त पोषण करे। पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से हाल ही में शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं में से कुछ, नीचे दी गई हैं।

1. इस मंत्रालय की राष्ट्रीय परियोजना योजना के तहत 5.27 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता वाले तीस्ता बैराज परियोजना को केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। हालांकि परियोजना को वर्ष 2015 तक पूरा किया जाना था, लेकिन भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव से संबंधित मुद्दों को देखते हुए अभी तक 1.97 लाख हेक्टेयरभूमि की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

2. पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह भी सूचित किया है कि वर्ष 2019-2021 के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीओएएंडएफडब्ल्यू) द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पुरुलिया जिले में 6 चैक डैम बनाने का काम पूरा कर लिया है। उक्त कार्य पूरा हो चुका है, जिससे 643 हेक्टेयर भूमि की नई सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।
3. वर्ष 2015 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के शुभारंभ के साथ, प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) को इसके घटकों में से एक के रूप में शामिल किया गया था, जिसे कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। हालाँकि, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा दिसंबर, 2021 से पीडीएमसी को पीएमकेएसवाई के स्थान पर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक भाग के रूप में लागू किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 से, पश्चिम बंगाल में पीडीएमसी के तहत लगभग 66,517 हेक्टेयर भूमि की सूक्ष्म सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई है।

(ख): भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु . करोड़ में)

वर्ष	**राष्ट्रीय परियोजना योजना**	**पीडीएमसी**	**आरकेवीवाई (पीडीएमसी के अलावा)**
2019-2020	-	20.0	2.31
2020-2021	-	61.0	2.10
2021-2022	-	-	-
2022-23 (आज तक)	-	60.0	4.41

(ग) से (ङ): इस समय में इस मंत्रालय में सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में पश्चिम बंगाल की सरकार से कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्रक्रियाधीन या लंबित नहीं है।

****